

26.06.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2011 / 00127

अपील संख्या 89 / 2010 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान:- हरिराम सुन्दर बनाम नवल

पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलार्थी एवं तरतीबी पक्षकारान उपस्थित। मूल प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने प्रकट किया कि विवादित आराजी विक्रय हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में कही भी पुश्तैनी सम्पति के आधार पर वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है। विक्रय का तथ्य उभयपक्ष स्वीकार करते है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार कर लिया है। अतः विक्रय के आधार पर क्रेतागण के बीच बंटवारे हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। किसी प्रकार के बचाव के अभाव में अपीलार्थी का कथन स्वीकार योग्य प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हक के आधार पर पक्षकारान के बीच विभाजन की अग्रिम कार्यवाही की जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.08.18 को उपस्थित होवे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Web Copy - Not Official